



Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh

Accredited A+ by NAAC, Bengaluru

Koni- Birkona Road, PO- Birkona, Dist- Bilaspur- 495009



Name of the Programme: MASTER OF SOCIAL WORK				
Total No. of Full Time Dedicated Faculty: 03				
S. No.	Name of Faculty	Designation	Highest Qualification	Email & Contact no.
1.	Mr. Mukesh Kumar Sahu	Assistant Professor	NET, M.A	mukeshsahu072@gmail.com 8770039229
2.	Ms. Indu Sharma	Assistant Professor	NET, MSW	indus@gmail.com 9131819314
3.	Mr. P. Panduranga Babu	Assistant Professor	NET, M.A	smart_sanjiv1@yahoo.com 9300617046

(Handwritten Signature)

Regional Director .

Regional Director
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
Chhattisgarh, Bilaspur

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, विलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)
कोनी विरकोना मार्ग, विलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 618/21/08/202

बिलासपुर, दिनांक : 21/08/202

प्रति,

श्री मुकेश कुमार साहू

S/O श्री हौते लाल साहू

विषय :- समाजकार्य

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 619/21/08/202

बिलासपुर, दिनांक : 21/08/202

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

समाजकार्य विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुवत) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, विलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)
कोनी विरकोना मार्ग, विलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 623/31/08/202

बिलासपुर, दिनांक : 31/08/202

प्रति,

शुभ शर्मा
D/O श्री बाबूलाल शर्मा

विषय :- समाजकर्म

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 624/31/08/202

बिलासपुर, दिनांक : 31/08/202

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

समाजशास्त्र-समाजकर्म विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)
कोनी बिरकोनां मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 600/24/07/2023

बिलासपुर, दिनांक : 24/07/2023

प्रति,

P. Sundaranga Bahu
Bilaspur

विषय :- समाप्त

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

पृ. क्र. 600(A)/24/07/2023
प्रतिलिपि :-

आदेशानुसार
विभाग प्रमुख
बिलासपुर, दिनांक : 24/07/2023

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख
समाप्त विभाग

प्रति

विभागाध्यक्ष

समाजशास्त्र - समाज कार्य

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

संदर्भ : आपका आदेश क्र. 619/21/08/2023, *

महोदय

सविनय यह कि आपका आदेश क्र. 619/21/08/2023

के तारतम्य में आज दिनांक 21.08.2023 को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (GT) पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित।


हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष

21.8.23

हस्ताक्षर 

नाम सुन्दरलाल शर्मा

प्रति

विभागाध्यक्ष

रामाज शास्त्र - रामाज कृषि विभाग
पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

संदर्भ : आपका आदेश क्र. 623/31/08/23, बिलासपुर, दिनांक 31/08/23

महोदय

सविनय यह कि आपका आदेश क्र. 623/31/08/23, दिनांक 31/08/23
के तारतम्य में आज दिनांक 31/8/23.... को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (GT) पद पर
अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष
31.8.2023
R. Sharma

हस्ताक्षर Indu
नाम इन्दु शर्मा

प्रति

विभागाध्यक्ष

.....सुन्दरलाल शर्मा.....

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

संदर्भ : आपका आदेश क्र.600.....

महोदय

सविनय यह कि आपका आदेश क्र.600.....

के तारतम्य में आज दिनांक 24/07/23 को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (GT) पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित।

.....
हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष
24.7.23
B. Babu

हस्ताक्षर
P. Panduranga Babu

नाम
P. Panduranga Babu